प्रेस विज्ञप्ति
14/5/2024

प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष **बीएस-IV वाहन घोटाले** में 17 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) नंबर 13029/1985 में अपने आदेश दिनांक 29.03.2017 के तहत आदेश दिया कि बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों को 1 अप्रैल 2017 से भारत में बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

हालांकि, जे सी प्रभाकर रेड्डी, सी. गोपाल रेड्डी और अन्य ने अशोक लेलैंड लिमिटेड से बीएस-III वाहनों को अपनी संस्थाओं - मेसर्स जटाधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सी. गोपाल रेड्डी एंड कंपनी के नाम पर भारी छूट पर स्क्रैप के रूप में खरीदा और धोखाधड़ी से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर इसे बीएस-IV वाहनों के रूप में पंजीकृत किया। अधिकांश फ़र्जी पंजीकरण नागालैंड में किए गए थे, जबकि कुछ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी किए गए थे।

ईडी जांच से पता चला कि ऐसे 50 वाहन मेसर्स जटाधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत थे और मेसर्स सी गोपाल रेड्डी के नाम पर 104 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से अधिकांश वाहनों का उनके द्वारा अपने परिवहन व्यवसाय में उन्हें बीएस IV वाहनों के रूप में गिरवी रखकर उपयोग किया गया था। ऐसे कुछ वाहनों को भी बीएस IV वाहनों के रूप में पेश करके बेच दिया गया था। इन वाहनों के स्वामित्व, संचालन और बिक्री से उत्पन्न अपराध की आय 38.36 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है।

इससे पहले, ईडी ने जे.सी. प्रभाकर रेड्डी, सी. गोपाल रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 28.62 करोड़ रु. की चल संपत्तियों (बैंक शेष, नकद, आभूषण और प्राप्य राशि) और 68 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था |

आगे की जांच चल रही है।